	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 23, शुक्रवार, *शाके* 1941–मार्च 13, 2020 *Phalguna 23, Friday, Saka 1941–March 13, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-3/जांच

अधिसूचना

जयपुर फरवरी 18, 2020

जी.एस.आर.95 :- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 15 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार सभी उपखण्ड अधिकारियों को उनके उपखण्ड में कार्यरत समस्त अधीनस्थ सेवाओं एवं मंत्रालयिक सेवाओं के कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तियां (अधिकतम दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने तक) अधिरोपित करने के लिये, विशेष रूप से सशक्त करती है।

उपखण्ड अधिकारी के दण्डादेश के विरूद नियम 23 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

[संख्या प3(1)कार्मिक/क-3/जॉच/2004]

राज्यपाल की आज्ञा से,

सुरेश कुमार नवल,

शासन संयुक्त सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।